an>

Title: Need to implement pension scheme under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 in respect of employees of Jawahar Navodaya Vidyalays.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) ः भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार तमिलनाडु राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत वर्ष के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय स्थित है। नवोदय विद्यालय का कर्मचारी प्रातः साढे पाँच बजे से रात्रि साढे दस बजे तक प्रतिदिन लगभग सोलह घण्टे तक कार्यरत रहता है। नवोदय विद्यालय की व्यस्तता की वजह से कर्मचारी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आने वाले केन्द्रीय विद्यालय संगठन, राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा प्रणाली तथा केन्द्रीय तिब्बतीयन स्कूल संगठन आदि के कर्मचारी सी.सी.एस. ओल्ड पेंशन 1972, दिनांक 01.01.2004 तक इस सुविधा का उपभोग कर रहे हैं। पत्रांक डी.ओ.पी.टी. ओ.एम. सं. 4/1/87-पी.आई.सी.-1, दिनांक 01.05.1986 के अनुसार 01.01.1986 से जो भी कर्मचारी सेवारत हैं, वे सभी सी.सी.एस. ओल्ड पेंशन 1972 के लिए पात्र होंगे परंतु नवोदय विद्यालय समिति में कर्मचारी 01.01.1986 से पूर्व के होने के बावजूद भी सी.सी.एस. ओल्ड पेंशन 1972 की सुविधा से वंचित हैं। इस संबंध में पत्रांक सं0 20-2/2014-एन.वी.एस. (स्था.-II) दिनांक 19.08.2014 नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय, नोएडा द्वारा अनुरोध किया जा चुका है तथा अतिरिक्त सचिव, साक्षरता एवं स्कूल शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 01.01.2004 के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के लिए सी.सी.एस. ओल्ड पेंशन 1972 स्वीकृति हेतु कैबिनेट नोट की अनुशंसा की गई थी।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि नवोदय विद्यालय के कर्मचारियों को सी.सी.एस. ओल्ड पेंशन 1972 दिनांक 01.01.1986 से स्वीकृति करने का कष्ट करें।